राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 1(39)परि/स्था/2000/ जयपुर,दिनांकः

आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं (संयुक्त प्रतियोगी) प्रतियोगी परीक्षा, 2013 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं कार्मिक (क–4/2) की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 के अनुसरण में निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान परिवहन सेवा में (जिला परिवहन अधिकारी के पद पर) दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियम के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तो पर नियुक्त किया जाता है। यह तिथि हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत पाठ्यक्रम (प्रशिक्षण) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी :–

क्र. सं.	मेरिट सं0	रोल नं0	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1.	28	935448	समीर जैन	14.02.1983	GE,RG	–
2.	47	933323	मासिंगा राम	01.02.1984	BC,RG	–
3.	58	905352	राधेश्याम शर्मा	10.07.1981	GE	प्रोविजनल
4.	59	931154	नितिन कुमार बोहरा	05.02.1987	GE	–
5.	74	922958	अवधेश चौधरी	28.10.1987	BC	प्रोविजनल
6.	75	912669	अरविन्द कुमार	04.01.1990	BC, RG	–
7.	78	912577	संजीव चौधरी	08.02.1979	BC,RG	प्रोविजनल
8.	79	912303	श्याम सुन्दर विश्नोई	07.02.1988	BC,RG	–
9.	80	925185	योगेश शर्मा	10.01.1989	GE	प्रोविजनल
10.	82	911107	विनोद कुमार लेघा	15.11.1979	BC,RG	प्रोविजनल
11.	86	919029	गौरव यादव	10.07.1990	BC	–
12.	87	926618	अक्षय विश्नोई	28.09.1990	BC	–
13.	132	911239	सुप्रिया	10.07.1992	BC,WE	–
14.	137	922799	भारती नैथानी	06.03.1987	GE, WE	प्रोविजनल
15.	147	922181	सविता भारद्वाज	30.09.1976	GE, WE, RG	–
16.	187	912686	सुमन	03.07.1987	BC,WE	–
17.	593	927164	महेश चन्द मीणा	24.06.1990	ST	–
18.	651	902057	तारा चन्द	18.10.1985	SC,RG	–
19.	679	941375	देवानन्द	02.07.1987	SC, RG	–
20.	707	911515	नरेश कुमार	15.01.1980	SC	–
21.	738	932958	भगवाना राम	14.08.1973	SC,RG	–
22.	1202	921079	प्रियंका बडगुजर	27.10.1990	SC,WE	–
23.	2089	940499	कल्पना शर्मा	07.11.1979	GE,WE,WD,RG	–

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है :–

1. उक्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील सं. 18272–76/2008 (सिविल अपील सं. 2049–2053/2011) तथा याचिका सं. 140/11 एवं मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं. 6744/2008, 11200/2010, याचिका सं. 1862/2013 और मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके साथ ही मा0 उच्च न्यायालय में दायर डी0बी0 स्पेशल अपील रिट सं. 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.17 तथा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 7815, 7825/17 व 8020/17 द्वारा देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 12.07.17 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेगी। इसी प्रकार डी.बी.स्पेशल अपील रिट सं. 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.05.17 के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 तथा एस0बी0सी0डब्ल्यू0 पी0 सं. 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसी डब्ल्यूपी सं. 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा0 न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.05.17 के विरूद्ध खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस0एल0पी0 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट सं. 11200/2010 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियां रहेंगी।
2. एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 1463, 4367, 6605, 8446, 1464/2017 द्वारा श्याम प्रताप सिंह चारण, हेमेन्द्र सिंह बारहठ, विनोद कुमार गुप्ता, देवीचन्द ढाका व संजीव कुमार दलाल बनाम राज्य व अन्य (कुल 05 प्रकरण) में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी श्रेणी हेतु राज0 परिवहन सेवा में 02 पद रिक्त रखे जाने का अंतरिम आदेश दिनांक 03.02.17 पारित किए जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.17 के द्वारा परिवहन सेवा में 02 पदों, जो कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में विज्ञापित नहीं है, पर मा0 न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सेवा प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया तय कर दिये जाने के उपरान्त सेवा आवंटन किया जा सकेगा।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.06 एवं एफ.14 (1) एफडी/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
4. उक्त अभ्यर्थियों को जिला परिवहन अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे–4800 (समय–समय पर यथा संशोधित वेतन भत्तों/शर्तों के अध्याधीन) दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षा–प्रशिक्षु (Probationer-trainee) के रूप में नियुक्त किया जाता है।
5. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र सं. प.15 (1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
6. कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान सरकार के यू.ओ.नोट क्रमांक F 9 (190) कार्मिक/क–4/2/2017 दिनांक 03.08.2017 के साथ भेजे गये अभ्यर्थियों के आवेदन प्रपत्र के अनुसार जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में है तथा अपनी राज्य सेवा अवधि में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्मिक विभाग के संदर्भित पत्र के आदेशानुसार इस विभाग में दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9:30 बजे परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर पर उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है। उक्त अभ्यर्थी आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका

रिपोटिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। शेष अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9:30 बजे अपनी उपस्थिति हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

7. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. इन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि वही होगी, जो इन्होंने लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा सम्बन्धी आवेदन–पत्रों में अंकित की है तथा जिसे आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के उपरान्त मान्य कर दिया गया है।
9. इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग की योग्यता सूची में अंकित वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगी।
10. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन/प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, विवाह व संतान की स्थिति आदि के राज्य सरकार के पूर्ण सन्तोषजनक सत्यापन के अधीन होगी तथा यदि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/चरित्रादि के संबंध में भविष्य में कोई सत्यापन सन्तोषजनक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
11. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए (उनके नाम के आगे प्रोविजनल अंकित किया गया है) इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
12. अभ्यर्थी को, अगर वह विवाहित है, तो उसे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र इस विभाग को कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त विवाह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाया जावेगा।
13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "self declaration" प्रपत्र अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसी अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लायी जायेगी।
14. ये नियुक्तियॉ राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के नियम 21 एवं राजस्थान सरकार द्वारा सेवा के सम्बन्ध में बनाये गये समस्त अधिनियम/नियम/उपनियम, अधिसूचनाओं में समय–समय पर संशोधित अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्याधीन रहेगी व इस सम्बन्ध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के अधीन होगी।
15. जिन अभ्यर्थियों को उक्त सेवा में नियुक्ति दी जा रही है, यदि उनमें कोई अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण की अवधि में अथवा अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त दो वर्षो की सेवा अवधि में सेवा छोडकर जाता है/त्याग पत्र देता है तो इस अवधि में प्राप्त वेतन तथा उसके प्रशिक्षण काल में प्राप्त की गई राशि की दुगुनी राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। किन्तु इस अवधि में उसे भुगतान की गई यात्रा भत्ते व दैनिक भत्ते की राशि वसूल नहीं की जाएगी। प्रत्याशियों को इस आशय का एक बन्ध–पत्र (बॉण्ड) निर्धारित प्रपत्र में सेवा पर उपस्थिति देने से पूर्व निष्पादित करना होगा।
16. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय में आने वाले मामलों छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

17. उक्त अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
18. अभ्यर्थी श्री अभय मुद्गल मेरिट नं. 33 एवं श्री ओम सिंह शेखावत मेरिट नं. 61 द्वारा अभी तक दस्तावेजों का सत्यापन, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, संतान संबंधी सूचना एवं आपराधिक प्रकरणों के संबंध में "self declaration" प्रपत्र तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करना बकाया है। अतः उक्त अभ्यर्थी आधारभूत प्रशिक्षण में उपस्थिति देने से पूर्व विभाग में उक्त कार्यवाही सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
19. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

-sd-
(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 1(39)परि/स्था/2000/ 43044-56 जयपुर,दिनांकः 8/9/17

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एंव संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
11. सम्बन्धित अधिकारी श्री..........................
12. गोपनीय शाखा/ संस्थापन शाखा/ भुगतान शाखा।
13. निजी पत्रावली।
14. रक्षित पत्रावली।

8/9/17
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)

H:/estt/manish g/ letter/ orders